2019/00338

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 74/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक शाखा विशेष खुदरा ऋण शाख (एस आर एल बी),43–45 विवेक विहार कालोनी, जगतपुरा जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स डी सी एक्सपोर्ट प्रो॰ श्री सन्दीप शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा
   पता–मकान नं॰ 106, महादेव नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर ।
2. संजय शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल शर्मा
   पता–मैसर्स मुकेश ट्रेडिंग कम्पनी दुकान नं॰ 69–ए, धानमण्डी, घडसाना, जिला श्रीगंगानगर,
   वार्ड नं॰ 15 24, ए एस सी नई मण्डी, घडसाना, जिला श्री गंगानगर एवं
   मकान नं॰106, महादेव नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर ।
3. श्रीमती गरीमा शर्मा पत्नी श्री संजय शर्मा
   पता7वार्ड नं॰ 15 24, ए एस सी नई मण्डी, घडसाना, जिला श्री गंगानगर

अप्रार्थी ऋणी
एवं गारन्टर

(कलक्टर) जिला मजिस्ट्रेट जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 7.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी संजय शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं॰ 106, महादेव नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज को बन्धक रख कर टर्म लोन खाते में 25,00,000/– रूपये एवं ओ डी पी लोकन खाते में 25,00,000/– रूपये इस प्रकार कुल 50,00,000/– लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.01.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. के

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से राकेश यादव उपस्थित है।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को दिनांक 01.01.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अप्रार्थी ऋणी को धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संजय शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं॰ 106, महादेव नगर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर क्षेत्रफल 166.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 7-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर